भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 729

(दिनांक 05.02.2021 को उत्तर देने के लिए)

टी.वी. प्रोग्राम रेटिंग सिस्टम

729. **श्री भागीरथ चौधरी :**
श्री सुनील कुमार सिंह :
श्री भगवंत मान :
प्रो. सौगत राय :
सुश्री प्रतिमा भौमिक :
श्री मनीश तिवारी :
एडवोकेट अदूर प्रकाश :
श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्री निशीथ प्रामाणिक :
श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी :
श्री प्रताप सिम्हा :
श्री प्रदीप कुमार सिंह :
श्री नारणभाई काछड़िया :
डॉ. जयंत कुमार राय :
श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :
श्री परबतभाई सवाभाई पटेल :
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे :
श्री विनोद कुमार सोनकर :
श्री एस.सी. उदासी :
श्री रवनीत सिंह :
श्री एस. ज्ञानतिरावियम :
श्री भोला सिंह :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौजूदा दर्शक टी.वी. रेटिंग प्रोग्राम सिस्टम की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर आशंकाएं व्यक्त की गई हैं और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार को टी.आर.पी. रेटिंग के साथ 2015 से ही छेड़छाड़ करने के बारे में शिकायत मिली है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च कौंसिल (बार्क) सहित टेलीविजन रेटिंग एजेंसी के लिए निर्मित दिशानिर्देशों की समीक्षा करने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) भारत में मजबूत, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग सिस्टम बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है;

(ङ) क्या सरकार को ओ.टी.टी. प्लेटफार्मों के कार्यक्रमों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ओ.टी.टी. प्लेटफार्मों के लिए दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) और (ख): अक्टूबर, 2020 से प्रकाशित न्यूज़ रिपोर्टों में टेलीविजन रेटिंग पॉइंट से संबंधित कुछ चिंताओ को व्यक्त किया गया है। प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) ने अपने उत्तर में यह कहा कि पैनल की सूचिता को बनाए रखने की अनुशासनात्मक परिषद की कार्रवाई के अलावा, बार्क ने सैंपल की छेड़छाड़ में शामिल उन व्यक्तियों के विरुद्ध सक्रिय रूप से कार्रवाई की और कई राज्यों में इनके वेंडरों के माध्यम से 11 एफआईआर दर्ज की हैं। बार्क ने कहा है कि इसकी प्रतिबद्धता भारत में टीवी दर्शकों के सशक्त और विश्वसनीय डेटा का निर्माण करने की है यह प्रणाली विसंगत दर्शक व्यवहार का पता लगाने में सक्षम थी और दायर किए गए मामले भी मजबूत डेटा सुरक्षा और सतर्कता प्रणाली के कारण ही हुए है जिसे बार्क ने स्थापित किया है। शिकायतों पर डेटा बेस को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, बार्क से संबंधित मामलों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए सामान्यतः बार्क को अग्रेषित

किया जाता है। एफआईआर दायर करने के लिए, पैनल छेड़छाड़ और दर्शक माप प्रणाली के हेरफेर की घटनाओं को रोकने के मद्देनजर बार्क नियमित रूप से आवश्यकतानुसार संरचनात्मक, विनियामक और प्रक्रियात्मक परिवर्तन करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बार्क द्वारा प्रस्तुत किया गया दर्शक डेटा और इसके परिणामस्वरूप रिपोर्टिंग यथासंभव सटीक और पारदर्शी है। इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 16 जनवरी, 2014 को अधिसूचित "भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों संबंधी दिशा निर्देशों" में रेटिंग एजेंसी को समर्पित शिकायत निवारण तंत्र का प्रावधान भी दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की नई सिफारिशों और तकनीकी प्रगति/व्यवस्था संबंधी हस्तक्षेप के मद्देनजर मुद्दों को हल करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसमें आईआईटी, सी-डॉट और आईआईएम से स्वतंत्र सदस्य शामिल हैं। समिति को अन्य के साथ-साथ विषय से संबंधित अथवा आकस्मिक किसी भी मुद्दे का अध्ययन करने और भारत में सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने पर सिफारिशें करने का कार्य दिया गया है।

(ग): मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रसार भारती की अध्यक्षता के तहत उपर्युक्त समिति का गठन भारत में प्रसारण दर्शक अनुसंधान परिषद (बार्क) सहित टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए समीक्षा करने तथा भारत में सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह रेंटिंग प्रणाली के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिफारिशें देने के लिए किया गया था। समिति ने माप कार्यप्रणाली, रेटिंग एजेंसी और लेखा परीक्षा आदि के संयोजन में संरचनात्मक बदलाव पर सिफारिशे दी हैं। समिति की सिफारिशों में ट्राई की सिफारिशों सहित उनको संदर्भित विभिन्न मुद्दों का समाधान है।

(घ): मौजूदा दिशानिर्देशों में प्रावधान जैसे कि दर्शक माप, पैनल चयन, प्लेटफॉर्म की गोपनीयता और निजता देखना, डेटा विश्लेषण, पारदर्शी और शिकायत निवारण तंत्र आदि के

लिए कार्यप्रणाली है जो कि भारत में सशक्त, पारदर्शी और जवाबदेह रेटिंग प्रणाली के लिए आवश्यक हैं। तथापि, ट्राई की सिफारिशों सहित सीईओ, प्रसार भारती की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित वर्तमान दिशानिर्देशों का विश्लेषण/मूल्यांकन अर्थात कमी, यदि कोई हो, किया जा रहा है। किसी भी संशोधन में रूपावली की गहन और विस्तृत समीक्षा शामिल हो सकती है।

(ङ) और (च): केन्द्र सरकार ने दिनांक 09.11.2020 के अपने अधिसूचना के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित कार्य नियतन नियमावली, 1961 में संशोधन किया है और इस मंत्रालय के कार्य आवंटन में निम्नलिखित मदों को शामिल किया हैः-

"वीए. डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करवाई गई फिल्में और श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर समाचार और समसामयिकी सामग्री।"

सरकार को ऑवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक विषयों के कार्यक्रमों के संबंध में शिकायते प्राप्त हो रही है।

*****